(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 702–एक/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 160/2006–07 अपील

केशुराम पुत्र लक्ष्मण तेली
ग्राम पहेड़ा तहसील मल्हारगढ़
जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

नरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज पाटीदार
ग्राम पहेड़ा तहसील मल्हारगढ़
जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश -- अनावेदकगण

(श्री दिनेश व्यास अभिभाषक – आवेदक)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श
(दिनांक 08 दिसम्बर, 2015)

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 160/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–5–2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार मल्हारगढ़ को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम पहेड़ा स्थिता भूमि सर्वे कमांक 334 के बटा फर्द, नक्शा ट्रेस पटवारी से प्रदाय कराये जॉय। तहसीलदार मल्हारगढ़ ने प्रकरण कमांक 31/अ–3/200–05 दर्ज किया तथा पटवारी को निर्देश दिये। तदानुक्रम में पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि सर्वे नंबर 334 रकबा 0.15 केशराम पुत्र लक्ष्मन व सर्वे नंबर 334 रकबा 0.86 है. नरेन्द्रकुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मौके पर सर्वे नंबर 334 एक ही खेत होकर बीच की मेड़ नहीं है। स्वत्व अनुसार बटांकन फर्द तैयार कर प्रस्तुत है। पटवारी व्दारा प्रस्तुत

बटांकन फर्द पर नरेन्द्रकुमार अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार मल्हारगढ़ ने निरस्त कर पटवारी व्दारा प्रस्तुत बटांकन आदेश दिनांक 20.11.2006 से स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूद्ध नरेन्द्रकुमार अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 11/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-07 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 160/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण तहसीलदार को संहिता की धारा 178 के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने बहस न करते हुये प्रकरण का निगरानी मेमो में तथ्यों पर से निराकरण का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय के निर्णय जयपत्र को देखे बिना गलत अर्थ निकाल कर आदेश पारित किया है। तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्षो के विपरीत निर्णय लिया है। सिविल न्यायालय के जयपत्र एंव निर्णय अनुसार बटांकन किया गया है । अपील बटांकन आदेश की थी बटवारा आदेश की नहीं थी इसके बाद भी धारा 178 के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई के लिये रिमाण्ड करने में त्रृटि की गई है। सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अंत में निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि नरेन्द्र कुमार अनावेदक ने न्यायालय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नारायणगढ़ के न्यायालय में आवेदक एंव अन्य 5 के विरूद्ध सर्वे कमांक 334 रकबा 1.012 जिसका बंदोबस्त के बाद नया रकबा 1.01 हैक्टर पर आधिपत्यधारी घोषित करने एंव इस

भूमि के किसी भाग पर आवेदक का कोई स्वत्व व आधिपत्य न होने तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का दावा किया था, परन्तु अनावेदक का यह दावा माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.12.2010 से निरस्त किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वे कमांक 334 का बटांकन माननीय सिविल न्यायालय से हुआ है। तहसील न्यायालय के प्रकरण से वस्तुस्थिति यह परिलक्षित है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वे नंबर 334 रकबा 0.15 केश्राम पुत्र लक्ष्मन के नाम तथा सर्वे नंबर 334 रकबा 0.86 है. नरेन्द्रकुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है मौके पर सर्वे नंबर 334 एक ही खेत रहा है एंव खेत होकर बीच की मेड़ नहीं है। आवेदक ने दोनों पक्षों के बीच खेत की सीमा कायम एंव मेढ़ कायमी करने के उद्वेश्य से सर्वे नंबर 334 के बटांक किये जाने की मांग तहसीलदार से की थी, जिसे तहसीलदार मल्हारगढ़ ने प्रकरण कमांक 31/अ-3/200-05 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2006 से बटांक स्वीकृत किया और इसी बटांकन आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 29-1-2007 से अपील निरस्त की गई है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र. क. 160/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार के आदेश को इसलिये त्रृटिपूर्ण माना है क्योंकि सर्वे कमांक 334 उभय पक्ष के नाम संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है इसलिये इस सर्वे नंबर के कितने भाग पर आवेदक कितने भाग पर एंव अनावेदक कितने भाग पर काविज है, तहसीलदार ने जांच नहीं की है जबकि खसरे में स्पष्ट अंकन है कि सर्वे नंबर 334 रकबा 0.15 है. के केश्राम पुत्र लक्ष्मन व सर्वे नंबर 334 रकबा 0.86 है. के नरेन्द्रकुमार पुत्र पृथ्वीराज भूमिस्वामी अंकित है अर्थात उक्तानुसार अंकित रकबे से ज्यादा एंव कम कोई भी कृषक एक-दूसरे की भूमि नहीं ले सकते। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि सर्वे नंबर 334 के रकबा 0.15 एंव रकबा 0.86 है. के बटांकन होकर मेढ़ कायम होना है जो तहसीलदार

व्दारा आदेश दिनांक 20.11.2006 मेढ़ कायम कर बटांक स्वीकृत कर दिया है और तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी,मल्हारगढ़ ने विधिवत् पाकर अनावेदक की अपील निरस्त की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अधीन तहसीलदार ने सर्वेक्षण सॅख्यांक को पुर्नक्रमांकित कर उप विभाजित किया है, अपितु संहिता की धारा 178 के अधीन बटवारा नहीं किया है और जब मूल न्यायालय में कार्यवाही संहिता की धारा 70 के अधीन निर्णीत हुई है, सर्वेक्षण सॅख्यांक को पुर्नक्रमांकित संहिता की धारा 178 में नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा आदेश दि. 29.1.07 से प्रकरण प्रत्यावर्तित कर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर